पत्रांक–5/पी०–43/2024-38(5)वा./स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–12.11.2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में कैथ लैब के अधिष्ठापन एवं क्रय की योजना के लिए स्वीकृत राशि 7,00,00,000/–रूपये से 41.42% अधिक यानि कुल 9,90,00,000/–(नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये मात्र की लागत पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में कैथ लैब के अधिष्ठापन एवं क्रय की योजना के लिए स्वीकृत राशि 7,00,00,000/–रूपये से 41.42% अधिक यानि कुल 9,90,00,000/–(नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये मात्र की लागत पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–50(5)ब०यो० दिनांक–18.02.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में कैथ लैब के अधिष्ठापन एवं क्रय की योजना हेतु 8,00,00,000/–(आठ करोड़) रूपए के लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उक्त कैथ लैब की योजना हेतु कैथ लैब के निर्माण हेतु 7,00,00,000/–रूपये, मशीन उपकरण एवं उपस्कर के क्रय के लिए 60,00,000/–रूपये, एवं मानव संसाधन हेतु 40,00,000/–रूपये कुल 8,00,00,000/–रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान किया गया है।

4. विभागीय आवंटनादेश संख्या–01(5)ब०यो० दिनांक–09.04.2025 द्वारा कुल 7,00,00,000/–(सात करोड़) रूपए आवंटित की गई है।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–606/वि० दिनांक–01.03.2024 के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–2758 दिनांक–18.07.2026 द्वारा राशि बढ़ोत्तरी के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किया गया है :–

- योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की राशि– 7,00,00,000/–
- परिमाण विपत्र की राशि– 7,00,00,000/–
- निविदादाताओं की संख्या तथा न्यूनतम निविदित राशि– 02 तथा 9,90,00,000/– रूपये।
- विहित अधिसीमा से अधिक दर पर निविदा निस्तारण का औचित्य– कार्यालय के पत्रांक–7276 दिनांक–23.12.2024 द्वारा कैथ लैब के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए अनुमानित 7,00,00,000/– Cath Lab installation, All Civil Works and 5 years CAMC तथा 40,00,000/– मैनपावर एवं 60,00,000/– Consumables and other items के लिए माँग की गई थी। निविदा में निविदादाताओं द्वारा कैथ लैब के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा Civil Work सहित 9,90,00,000/– दर अंकित किया गया था, जिसे स्पेशिफिकेशन के अनुसार जिला क्रय समिति द्वारा अंकित दर पर क्रय एवं अधिष्ठापन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(आनन्द कुमार सिन्हा)	(ललित मोहन शुक्ला)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

6. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–397 दिनांक–28.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :–

- ई–निविदा संख्या–7336 दिनांक–04.12.2025 के द्वारा अनुमोदित दर (9,90,00,000/–) पर L1 को आपूर्ति आदेश दिया गया है।
- आपूर्ति आदेश के आलोक में L1 ने अपने संख्या–2026/11 दिनांक–16.01.2026 द्वारा 100 प्रतिशत राशि निम्न रूप से माँगी गई है :–

(i) 80% of total purchase order value to be released upon completion of delivery.

(ii) The balance 20% to be released upon completion of installlation and handover.

7. उक्त कैथ लैब के निर्माण की योजना के लिए आमंत्रित निविदा में मूल स्वीकृत राशि 7,00,00,000/–रूपये के विरूद्ध 2,90,00,000/–रूपये यानि 41.42% अधिक राशि कुल 9,90,00,000/–रूपये मात्र का एकल निविदा प्राप्त हुआ है, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. उक्त योजना हेतु 2,90,00,000/–रूपये का आवंटन अलग से निर्गत किया जाएगा।

9. योजना हेतु कैथ लैब के क्रय एवं अधिष्ठापन पर होने वाले व्यय का वहन राज्य योजना अंतर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष के अधीन किया जाएगाः–

क्र०	बजट शीर्ष
1	मुख्यशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110– अस्पताल तथा औषधालय (796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)– 71–जिला स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों, कार्यालयों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए मशीन उपकरण, उपस्कर का क्रय एवं सामग्रियों की आपूर्ति–03–प्रशासनिक व्यय–36–चिकित्सकीय आपूर्ति **(विपत्र कोड 20एस 2210–01–110(796 सहित)–71–00–03–36)**
2	मुख्यशीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय (796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45 निर्माण कार्य **(विपत्र कोड 20एस 4210–01–110(796 सहित)–48–01–05–45)**

10.उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। सिविल सर्जन, राँची मशीन के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु आवंटित की जाने वाली राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर बैंक खाता में संधारित करेंगे।

11. इस संपूर्ण आवंटित राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–1800 दिनांक–15.07.03 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
38(S) योजना
12.11.2026

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

13. इस प्रकार योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 2,90,00,000/– रूपए की वृद्धि हुई है। उक्त वृद्धि के आलोक में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका सं०–4.3 में सन्निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय संलेख ज्ञापांक–187(5) दिनांक–14.05.2026 में गठित प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक–18.05.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–रा०यो०प्रा०–83/2026 दिनांक–26.05.2026 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है।

14. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–606/वि० दिनांक–01.03.2024 के आलोक में विषयांकित कार्य मात्र हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग), बिहार, पटना के संकल्प संख्या–948 दिनांक–16.07.1986 की कंडिका–8.1.7(ख) द्वारा निर्धारित अधिसीमा के शिथिलीकरण के प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक–431(5) दिनांक–26.10.2026 के आलोक में मंत्रिपरिषद् की संपन्न बैठक दिनांक–27.10.2026 के मद संख्या–57 के क्रम में स्वीकृति प्रदान की गई है।

15. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–50(5)ब योजना दिनांक–18.02.2025 एवं आवंटनादेश संख्या–01(5) ब दिनांक–09.04.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश में अंकित अन्य सभी शर्त्ते यथावत् रहेंगी।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 5/पी०–43/2024 38(5) योजना दिनांक–12.11.2026

प्रतिलिपिः

1. उपायुक्त, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
4. सिविल सर्जन, राँची।
5. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
6. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

38(5) योजना
12.11.2026